न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या	तारीख दायर	निर्णय दिनांक
3 / 10	06.03.2025	23.09.2025

बउनवान

01. शीला पुत्री सेडयानाथ जाति जोगी निवासी ग्राम कैरवावाल तहसील मालाखेडा जिला अलवर
02. निर्मला पुत्री सेडयानाथ जाति जोगी निवासी ग्राम कैरवावाल तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०
03. हरिनाथ पुत्र सेडयानाथ जाति जोगी निवासी ग्राम कैरवावाल तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०

प्रार्थीगण

बनाम

01. राजस्थान सरकार तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर राज0

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं 1073 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, 1079 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 1080 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, 1081 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, 1082 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 1084 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, 1085 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, 1086 रकबा 0.0200 हैक्टेयर कुल किता 08 कुल रकबा 0.9100 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम कैरवावाल तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज० में स्थित है। बन्दोबस्त संवत 2073 से 2076 में प्रार्थीगण का नाम नर्बदा पुत्री सेडयानाथ, भौती पुत्री सेडयानाथ, हरिसिंह पुत्र सेड्यानाथ, दिया है प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड इन्तकाल दर्ज करते समय सहवन से क्रमशः नर्बदा, भौती, पुत्रीयान सेड्या नाथ एवं हरिसिह पुत्र सेड्या नाथ लिखा गया है जो कतई गलत है जबकि राजस्व कर्मचारियों को जमाबन्दी में नाम दर्ज करते समय जांच कर वास्तविक नाम दर्ज करना चाहिए था। जबकि प्रार्थीया का सही नाम शीला, निर्मला, दिनकर, पुत्रीयान सेड्या नाथ व हरिनाथ पुत्र सेड्या नाथ है। अतः प्रार्थीगणो का नाम नर्बदा की जगह शीला, भौती की जगह निर्मला दिनकर, हरिसिह की जगह हरिनाथ नाम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार मालाखेडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मालाखेडा ने पत्र क्रमांक–भू.अ./2025/1325 दिनांक–21.04.2025 के द्वारा अपनी रिपोर्ट मे नामान्तकरण संख्या 277 विरासत से मृतक सेड्या नाथ पुत्र सम्पत हिस्सा 1/2 बहक सुकिया पत्नी स्व0 सेड्या नाथ, मांगेलाल, हरिसिंह पुत्रान सेड्या नाथ, नर्बदा, भौती

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

पुत्रीयान सेड्या नाथ (प्रत्येक समान भाग) के नाम दर्ज होकर स्वीकृत होना तथा दर्ज नामातकरण संख्या 277 स्वीकृत के अनुसार जमाबंदी संवत 2073—76 वाके ग्राम केरवावाल के खाता संख्या 41 में सही अमल होने की रिपोर्ट प्रेषित की है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा तहसीलदार मालाखेडा से प्राप्त रिपोर्ट व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया।

प्रार्थीगणो के द्वारा नर्बदा की जगह शीला, भौती की जगह निर्मला दिनकर, हरिसिह की जगह हरिनाथ नाम दुरूस्त कराये जाने का अनुतोष चाहा है। तहसीलदार मालाखेडा की रिपोर्ट के मुताबिक नामान्तकरण संख्या 277 विरासत से मृतक सेड्या नाथ पुत्र सम्पत हिस्सा 1/2 बहक सुकिया पत्नी स्व0 सेड्या नाथ, मांगेलाल, हरिसिंह पुत्रान सेड्या नाथ, नर्बदा, भौती पुत्रीयान सेड्या नाथ (प्रत्येक समान भाग) के नाम दर्ज होकर स्वीकृत होना तथा दर्ज नामातकरण संख्या 277 स्वीकृत के अनुसार जमाबंदी संवत 2073—76 वाके ग्राम केरवावाल के खाता संख्या 41 में सही अमल होने की रिपोर्ट प्रेषित की है।

प्रार्थीगणो के द्वारा विरासत इन्तकाल की प्रविष्टियो की दुरूस्ती इन्तकाल की अपील दायर करने पर ही की जा सकती है। प्रार्थना पत्र 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत अनुतोष पोषनीय नही है।

अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम पोषनीय नही होने पर खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)